



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
E-500, टॉवर E, 5वीं मंज़िल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

पेंशन निधियों के प्रायोजकों के चयन हेतु आवेदन / प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक वैधानिक विनियामक संस्था है, जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत में पेंशन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, विकसित करने एवं विनियमित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) / अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक अभिदाता पंजीकृत हैं, जिनकी कुल प्रबंधनाधीन आस्तियां (AUM) ₹16 लाख करोड़ से अधिक है।

2. PFRDA पात्र आवेदकों से आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित करता है, ताकि उन्हें पीएफआरडीए (पेंशन निधियों का पंजीकरण) दिशानिर्देश, 2026 के अंतर्गत पेंशन फंड के प्रायोजक के रूप में चयनित किया जा सके, जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र तथा प्राधिकरण द्वारा विनियमित/प्रशासित अन्य योजनाओं के अंतर्गत अभिदाताओं के एनपीएस पेंशन निवेशों का प्रबंधन करेंगे। यह चयन पीएफआरडीए अधिनियम, उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों, तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशानिर्देशों/परिपत्रों/अधिसूचनाओं के अनुसार होगा। हालाँकि, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु 'डिफॉल्ट स्कीम' का प्रबंधन, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1/3/2016-PR दिनांक 31 जनवरी 2019 के अनुसार, निर्धारित पेंशन फंड्स द्वारा ही जारी रहेगा।

3. आवेदकों/प्रायोजकों की प्रारंभिक शॉर्टलिस्टिंग, दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट पूर्व-योग्यता मानकों (Pre-Qualification Criteria) के आधार पर की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव संबंधी सभी शर्तों को पूरा करना होगा तथा पीएफआरडीए (पेंशन निधियों का पंजीकरण) दिशानिर्देश, 2026 में उल्लिखित अयोग्यता के मानकों के अंतर्गत नहीं आना होगा, तभी उन्हें पेंशन फंड के प्रायोजक के रूप में चयनित किया जा सकेगा। चयनित प्रायोजकों को अपने अधिप्रायोजन (sponsorship) के अंतर्गत एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में पेंशन फंड को स्थापित करना होगा तथा ऐसे पेंशन फंड को पीएफआरडीए द्वारा पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 एवं उसके तहत हुए संशोधनों में निर्दिष्ट आवश्यक मानकों की पूर्ति के उपरांत ही पंजीकृत किया जाएगा।

4. पेंशन फंड की भूमिका, कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व, बाध्यताएं, कर्तव्य, देयताएं एवं अन्य सभी गतिविधियाँ पीएफआरडीए अधिनियम, 2013¹ तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों, विशेष रूप से पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 और पीएफआरडीए (एनपीएस ट्रस्ट) विनियम, 2015 सहित समय-समय पर जारी संशोधनों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं तथा पीएफआरडीए (पेंशन निधियों के पंजीकरण) दिशानिर्देश, 2026 की शर्तों के अनुसार संचालित होगी।

5. पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, पेंशन फंड्स द्वारा लगाई जाने वाली निवेश प्रबंधन शुल्क, प्राधिकरण को देय विनियामक शुल्क, तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रारूपों का विस्तृत विवरण पीएफआरडीए (पेंशन निधियों का पंजीकरण) दिशानिर्देश, 2026 में प्रदान किया गया है, जिसकी प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट www.pfrda.org.in पर उपलब्ध है²।

6. PFRDA कार्यालय में आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.03.2026 (मंगलवार) शाम 18:00 बजे है। समयसूची निम्नानुसार है :

प्रमुख गतिविधि	तिथि
आवेदन/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	31.03.2026 (मंगलवार) 18.00 बजे

-हस्ता/-
मुख्य महाप्रबंधक
(विनियमन — निधि प्रबंधन, पीएफ)

¹ https://www.pfrda.org.in/web/pfrda/w/regulatory-framework/compendium/compendium-of-pfrda-act-rules-and-regulations?p_1_back_url=%2Fweb%2Fpfrda%2Fregulatory-framework%2Fcompendium-of-pfrda-act-rules-regulations&p_1_back_url_title=Compendium+of+Act%2C+Rules+%26+Regulations

² <https://www.pfrda.org.in/en/web/pfrda/w/registration-of-pension-funds-guidelines-2026->



PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
E-500, Tower E, 5th Floor, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

**NOTICE INVITING APPLICATIONS / PROPOSALS FOR
SELECTION OF SPONSORS OF PENSION FUNDS**

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) is a statutory regulatory body established by an Act of Parliament with the charter to promote, develop and regulate pension sector in India.

As on 31st October 2025, more than 9 crore subscribers are registered under National Pension System (NPS) / Atal Pension Yojana, with the total Assets under Management (AUM) in excess of Rs. 16 lakh crore.

2. PFRDA invites applications/proposals from eligible applicants to make an offer for being selected as Sponsor of Pension Fund under PFRDA (Registration of Pension Funds) Guidelines, 2026 to manage the pension assets of National Pension System (NPS) of subscribers under Central Government Schemes, State Government Schemes, Private Sector Schemes and other scheme regulated/administered by the Authority in accordance with the provisions of the PFRDA Act, Rules notified thereunder and the Regulations/guidelines/circulars/notifications issued by the Authority from time to time. However, the 'default scheme' for Government Sector employees shall continue to be managed by the Pension Funds in line with Government of India Notification no. 1/3/2016-PR dated 31st Jan 2019.

3. The initial shortlisting of applicants/sponsors shall be based on the Pre-Qualification Criteria specified in the Guidelines. The shortlisted applicants shall have to fulfil the conditions of Technical and Commercial Proposal without falling under disqualification criteria, mentioned under PFRDA (Registration of Pension Funds) Guidelines, 2026, in order to get selected as Sponsor of a Pension Fund. Such selected Sponsors shall be required to incorporate Pension Funds under their sponsorship as a separate Company and the Pension Funds shall be registered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) subject to satisfying the requisite criteria mentioned in the PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015 and subsequent amendments thereto.

4. The role, functions, responsibility, obligations, duties, liabilities and all other activities pertaining to Pension Fund shall be governed by the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013¹, the Rules and Regulations framed thereunder, including the PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015, PFRDA (NPS Trust) Regulations, 2015, along with subsequent amendments thereto, guidelines or circulars or notifications issued by PFRDA from time to time and the terms and conditions as mentioned in the PFRDA (Registration of Pension Funds) Guidelines, 2026.

5. The complete details of eligibility criteria, steps of selection, investment management fee which can be charged by the Pension Funds, regulatory fee to be paid to the Authority and formats of submission of proposals are given in the PFRDA (Registration of Pension Funds) Guidelines, 2026, a copy of which is available on PFRDA's website www.pfrda.org.in².

6. The last date of receipt of applications/proposals at PFRDA's office is 31.03.2026 (Tuesday) 18.00 hrs. as per schedule given below:

Key Activity	Date
Last date and time for submission of applications/proposals	31.03.2026 (Tuesday) 18.00 hrs.

-s/d-

Chief General Manager
(Regulation Fund Management - PFs)

¹ https://www.pfrda.org.in/web/pfrda/w/regulatory-framework/compendium/compendium-of-pfrda-act-rules-and-regulations?p_1_back_url=%2Fweb%2Fpfrda%2Fregulatory-framework%2Fcompendium-of-pfrda-act-rules-regulations&p_1_back_url=title=Compendium+of+Act%2C+Rules+%26+Regulations

² <https://www.pfrda.org.in/en/web/pfrda/w/registration-of-pension-funds-guidelines-2026->